फर्द अहकाम

सुगनसिंह बनाम राज. सरकार

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

संख्या ....03.../2025 प्र. 45 RRLRA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/04/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण औपचारिक 2/ लगायत 5 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थी अधिवक्ता कि बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ कथन किया कि आराजी हाल खसरा नं. 76/0.07 साबिक खसरा नं. 85 के हिस्सा 1/2 के खातेदार प्रार्थी के पिता उमराव सिंह पुत्र रामुसिंह जाति राजपूत थे। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही पश्चात उमराव सिंह पुत्र रामुसिंह जाति राजपूत के स्थान पर उमराव सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति अहिर (यादव) अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि इस भूमि के साबिक राजस्व रिकोर्ड मे हिस्सा 1/2 के खातेदार उमराव सिंह पुत्र रामुसिंह के स्थान पर उमराव सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति अहिर (यादव) अंकित कर दिया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर आराजी हाल खसरा नं. 76/0.07 वाके ग्राम कुनेड़ तह. पावटा जि. कोटपूतली बहरोड़ के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदार उमराव सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/2 जाति अहिर (यादव) के स्थान पर	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

(P.T.O)

फर्द अहकाम

जगनसिंह बनाम राज. सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या ......03....../2025 धा. 136 LRA

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	(लगातार)	उमराव सिंह पुत्र रामूसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत दुरुस्त हेतु आदेश दिया जाता है। तदनुसार आदेश कि पालनार्थ तहसीलदार पावटा तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	